फा.सं.45/08/2017-एफ एफ (पी)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

स्वतंत्रता सेनानी एवं पुनर्वास प्रभाग

******

द्ववितीय तल, एन डी सी सी-II भवन,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 3 अक्तूबर, 2018

सेवा में,

मुख्य लेखा नियंत्रक,
गृह मंत्रालय,
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

विषयः केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशनभोगियों को दिनांक 01.07.2018 से मंहगाई राहत प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

मुझे केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशनभोगियों को दिनांक 01.01.2018 से प्रदान की जाने वाली 5% मंहगाई राहत के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 12.04.2018 के पत्र सं.45/08/2017-एफएफ (पी) का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि हाल ही में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 18.09.2018 के का.ज्ञा.सं.42/06/2018- पी एंड पी डब्लू(जी) द्वारा केन्द्रीय सरकार पेंशनभोगियों के संबंध में मंहगाई राहत को 2% तक बढ़ा दिया गया है। इसलिए, केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानियों/उनके जीवन साथी/पुत्री पेंशनभोगियों को स्वीकार्य मंहगाई राहत दिनांक 01.07.2018 से 5% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 7% कर दी जाएगी। सभी बैंकों से दिनांक 01.07.2018 से बकाया (एरियर) की गणना करने और अक्टूबर, 2018 माह से उसका संवितरण करने का अनुरोध किया जाता है। 2% की मंहगाई राहत की वृद्धि के पश्चात अर्थात कुल 7% की मंहगाई राहत के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के पेंशनभोगियों के संबंध में पेंशन की संशोधित राशि निम्नानुसार होगी:-

क्र.सं.	स्वतंत्रता सेनानी की श्रेणी	पेंशन की मूल राशि (प्रतिमाह)	दिनांक 01.07.2018 से 7% मंहगाई राहत जोड़ने के पश्चात पेंशन की बढ़ी हुई राशि (प्रतिमाह)
1.	पूर्व अंडमान राजनैतिक कैदी/जीवनसाथी	30,000/-रुपये	32,100/-रुपये
2.	ब्रिटिश इंडिया से बाहर यातना भोगने वाले स्वतंत्रता सेनानी/जीवनसाथी	28,000/-रुपये	29,960/-रुपये
3.	आईएनए सहित अन्य स्वतंत्रता सेनानी/जीवनसाथी	26,000/-रुपये	27,820/-रुपये

4.	आश्रित माता-पिता/पात्र पुत्रियां (एक समय में अधिकतम 3 पुत्रियां)	उस राशि का 50% जो स्वतंत्रता सेनानी के स्वीकार्य हुई होती अर्थात 13,000/- से 15,000/-रुपये की रेंज में	उस राशि का 50% जो स्वतंत्रता सेनानी के स्वीकार्य हुई होती अर्थात 13,910/-से 16,050/- रुपये की रेंज में

2. इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 06.08.2018 के नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय सम्मान पेंशन के संबंध में टीडीएस लागू नहीं है।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीया,

(मीनू बत्रा)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:2343 8062

प्रतिलिपि, सूचना तथा समरुप कार्रवाई के लिए अग्रेषितः-

1. मुख्य नियंत्रक, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सी पी ए ओ), भीकाजी कामा प्लेस, त्रिकूट-II, होटल हयात रिजेंसी के पीछे, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य लेखा नियंत्रक (पेंशन एवं विविध) 2/10 जामनगर हाउस, नई दिल्ली-110011
3. लेखा अधिकारी, महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, लोक नायक भवन, नई दिल्ली-110003
4. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिव।
5. सभी 23 प्राधिकृत बैंकों के सीपीपीसीज़ (सूची संलग्न)।
6. संयुक्त सचिव (एफएफआर) के निजी सचिव।
7. स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग, गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी, एन डी सी सी-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
8. पीडीएमसी स्वतंत्रता सेनानी एवं पुनर्वास प्रभाग, गृह मंत्रालय।
9. आई टी सेल, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक - इस पत्र को गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर एफएफआर प्रभाग के पब्लिक डोमेन के दस्तावेज़ में अपलोड करने हेतु।

(मीनू बत्रा)

उप सचिव, भारत सरकार